

परिशिष्ट
(देखिए नियम 6)

फार्म-क

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने
का फार्म

भाग -1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण	जनपद रामपुर में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० बरेली द्वारा ग्राम पटवई गाटा संख्या-450 में रामपुर-शाहबाद (एम०डी०आर० संख्या-53) मार्ग किमी० 14.531 की दायीं पटरी के अन्तर्गत तहसील शाहबाद जिला रामपुर में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प सम्पर्क मार्ग में प्रभावित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।
	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	एस्सार आयल कम्पनी लि० नोएडा पम्प की स्थापना के सम्बन्ध में।
ब)	15:000 स्केल मैप पर बने भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है
स)	परियोजना की लागत	रु० 50 लॉख
द)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	वन क्षेत्र में योजना स्थापित नहीं की जा रही है संरक्षित वन के सम्पर्क मार्ग की अनुमति है।
य)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्नक किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है
र)	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	06 स्थायी एवं लगभग 300 अस्थायी मानव दिवस
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार	0.0790 हे०

3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का कारण यदि कोई हो	कोई नहीं
अ)	परिवारों की संख्या	कोई नहीं
ब)	अनु० जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं
स)	पुनर्वास योजना (संलग्नक किये जाने के लिए)	कोई नहीं
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम -1987 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? हां/ नहीं	वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता।	संलग्न है।
6	संलग्नक	संलग्न सूची अनुसार

दिनांक:-

अरुण ठाकुर

सीनियर डिवीजनल मैनेजर (रिटेल सेल्स)

इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड बरेली।

स्थान:- लखनऊ

Hunk
(हिवरान सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रामपुर रेंज

C.S.
प्रभाषीय निदेशक
आ.वा. प्रभाग
धामपुर